



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276437  
CG-DL-E-23092026-276437

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5024]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 5024]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वित्त मंत्रालय  
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5231(अ).— ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष को ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली का अध्यक्ष बने रहने के अतिरिक्त 'मंगल देव बारीवाल बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य [रेगुलर अपील डायरी नंबर 1044/2026 और इससे संबंधित कार्यवाहियों]' की अपील के मामले में निर्णय देने के लिए ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुंबई के अध्यक्ष का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 09/16/2026-डीआरटी]

हरि हर मिश्रा, अपर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**ORDER**

New Delhi, the 22nd September, 2026

**S.O. 5231(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby authorises the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi to discharge also the functions of the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai for deciding the appeal in the matter of ‘Mangal Dev Bariwal Vs Central Bank of India & Ors. [Regular Appeal Diary No. 1044 of 2026 and its connected proceedings]’, in addition to his being the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi.

[F. No. 09/16/2026-DRT]

HARI HAR MISHRA, Addl. Secy.